संख्या–सामान्य–3–1358/दस–918/79

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह पांगती
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य समस्त
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 1979

विषय : नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन की शर्तों से एक वर्ष की निरन्तर सेवा संबंधी शर्त का हटाया जाना ।

———

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा–2–769/दस–917/61 दिनांक 24 अगस्त, 1966 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 लागू की थी और इस शासनादेश में उन शर्तों का भी उल्लेख किया गया था जिनका पालन होने पर ही पारिवारिक पेंशन ग्राह्य होती थी । उक्त शासनादेश के पैरा–3(क) में यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में पारिवारिक पेंशन मृतक कर्मचारी के परिवार को केवल उसी दशा में प्राप्त होगी यदि मृतक कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के दिनांक को कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो । यह भी स्पष्ट किया गया था कि इस एक वर्ष की अवधि का आगणन करने के लिए भत्ता रहित छुट्टी के रूप में न माना गया निलम्बन तथा 20 वर्ष की आयु से पहले की गई सेवा अवधि सम्मिलित नहीं होगी ।

2—शासन के सम्मुख कुछ मामले ऐसे आये हैं जिसमें सेवा अवधि में ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन केवल इस कारण उपलब्ध न हो सकी थी कि उसने मृत्यु से पूर्व एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी नहीं की थी । शासन अपने कर्मचारियों एवं उसके परिवारों के प्रति कल्याणकारी योजनायें लागू करता रहा है परन्तु उपरोक्त प्रतिबन्ध के कारण पारिवारिक पेंशन एक वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि की शर्त का पालन न होने के कारण न दिया जाना कल्याणकारी कदम नहीं समझा गया । अतः इस मामले पर शासन द्वारा विचार किया गया है । विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ने इन आदेशों के जारी होने की तिथि से यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिये उपरिकथित शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 के पैरा–3 (क) में लगाया एक वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूरी करने की शर्त को इस प्रतिबन्ध के अधीन समाप्त किया जाता है कि संबंधित सरकारी सेवक की राजकीय पद पर नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार चिकित्सा परीक्षा की गई थी और वह सरकारी सेवक के लिये योग्य पाया गया था ।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह पांगती,
विशेष सचिव ।

संख्या सा–3–1358(1)/दस–918/79

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–III, इलाहाबाद को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–ए०जी०–III/सेन्ट कोआर्ड/10(2)/78–11/40 दिनांक 14–5–1979 के सन्दर्भ में ।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–I, इलाहाबाद एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, II लखनऊ ।

आज्ञा से
शिव शंकर लाल भटनागर,
अनु सचिव ।

520/80–दस—900/78

संख्या–सामान्य–3–1358/दस–918/79

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह पांगती
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य समस्त
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 1979

विषय : नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन की शर्तों से एक वर्ष की निरन्तर सेवा संबंधी शर्त का हटाया जाना ।

———

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा–2–769/दस–917/61 दिनांक 24 अगस्त, 1966 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 लागू की थी और इस शासनादेश में उन शर्तों का भी उल्लेख किया गया था जिनका पालन होने पर ही पारिवारिक पेंशन ग्राह्य होती थी । उक्त शासनादेश के पैरा–3(क) में यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में पारिवारिक पेंशन मृतक कर्मचारी के परिवार को केवल उसी दशा में प्राप्त होगी यदि मृतक कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के दिनांक को कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो । यह भी स्पष्ट किया गया था कि इस एक वर्ष की अवधि का आगणन करने के लिए भत्ता रहित छुट्टी के रूप में न माना गया निलम्बन तथा 20 वर्ष की आयु से पहले की गई सेवा अवधि सम्मिलित नहीं होगी ।

2—शासन के सम्मुख कुछ मामले ऐसे आये हैं जिसमें सेवा अवधि में ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन केवल इस कारण उपलब्ध न हो सकी थी कि उसने मृत्यु से पूर्व एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी नहीं की थी । शासन अपने कर्मचारियों एवं उसके परिवारों के प्रति कल्याणकारी योजनायें लागू करता रहा है परन्तु उपरोक्त प्रतिबन्ध के कारण पारिवारिक पेंशन एक वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि की शर्त का पालन न होने के कारण न दिया जाना कल्याणकारी कदम नहीं समझा गया । अतः इस मामले पर शासन द्वारा विचार किया गया है । विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ने इन आदेशों के जारी होने की तिथि से यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिये उपरिकथित शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 के पैरा–3 (क) में लगाया एक वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूरी करने की शर्त को इस प्रतिबन्ध के अधीन समाप्त किया जाता है कि संबंधित सरकारी सेवक की राजकीय पद पर नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार चिकित्सा परीक्षा की गई थी और वह सरकारी सेवक के लिये योग्य पाया गया था ।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह पांगती,
विशेष सचिव ।

संख्या सा–3–1358(1)/दस–918/79

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–III, इलाहाबाद को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–ए०जी०–III/सेन्ट कोआर्ड/10(2)/78–11/40 दिनांक 14–5–1979 के सन्दर्भ में ।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–I, इलाहाबाद एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, II लखनऊ ।

आज्ञा से
शिव शंकर लाल भटनागर,
अनु सचिव ।

520/80–दस—900/78